वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) और (ख) स्टेट बैंक आफ इन्दौर ने सूचित किया है कि उन्होंने अपने क्षेत्रीय कार्यालय के लिये करोलबाग, नई दिल्ली में एक भवन का हिस्सा किराये पर लिया था। प्रधान कार्यालय से अनुमोदन के पश्चात् पट्टा करार को निष्पादित किया गया था। तदुपरान्त, पूर्व मालिक द्वारा 27 हिताधिकारियों को परिसर का स्वामित्व स्थानांतरित किया गया है। नये मालिकों के साथ नये करारों को निष्पादित करने संबंधी कार्रवाई की जा रही है। किराया प्रति माह 1,16,127/- रुपए है।

(ग) और (घ) बैंक ने सूचित किया है कि छोटे-छोटी दैनिक मरम्मतें की जाती रही हैं और गत दो वर्षों के दौरान खर्च की गई राशि निम्नलिखित है :—

	(रुपए)
1991–92	3,147.00
1992–93	4,004.75
जोड़	7,191.75

Lowering Central Sales Tax

1634. DR. NAUNIHAL SINGH: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is an avoidance of Central Sales Tax (CST) by the device of sending goods on consignment;

(b) if so, what are the details of measures Government have taken to curb it;

(c) whether Government are considering to lower the rate of CST from 4 per cent to one or two percent to make sending of goods on consignment etc. unattractive; and

(d) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKHAR MURTHY): (a) Yes, Sir. To some extent.

(b) The question of whether and in what manner a tax on consignment should be imposed is under discussion with the State Governments.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise in view of answer to (c) above.

करों की वसूली के लिए नई व्यवस्था

1635. **चौधरी हरमोहन सिंह** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में करों की बेहतर वसूली को प्रोत्साहन देने के लिए एक नई व्यवस्था लागू की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के तहत उठाये गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस व्यवस्था को लागू करने के बाद किस सीमा तक सफलता प्राप्त की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां। वित्त विधेयक, 1992 के द्वारा छोटे व्यवसायियों की आय का कराधान करने के लिए एक सरलीकृत प्रक्रिया पुरःस्थापित की गई थी।

(ख) उक्त प्रक्रिया की मंशा छोटे व्यवसायियों द्वारा आयकर कार्यालय में बिना गए ही कर की अदायगी को सुविधाजनक बनाना है। इस योजना को सफल बनाने के प्रयोजनार्थ एक प्रचार अभियान-अखबार में छपवाकर तथा इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रचार करके, दोनों माध्यमों में, शुरू किया गया है ताकि छोटे करदाताओं को इस नई योजना के बारे में पता चल सके।

(ग) इस नई प्रक्रिया के अन्तर्गत 1,16,644 व्यक्तियों ने उक्त सरलीकृत विवरण दायर किए हैं। इसके परिणामस्वरूप 16.47 करोड़ रुपये की आयकर की वसूली हुई है।